Action has also been initiated on the recommendations of Agricultural Credit Review Committee (ACRC) for strengthening of cooperative Banks. Towards this exercise, a Business Development Planning Programme (BDP), has launched for the cooperatives to make them viable. A model deposit guarantee scheme has been prepared to enhance deposit mobilisation for primary cooperatives. States have been asked to introduce pass-book system to enable the farmers to have easy access to credit. Cash Credit system has been introduced by NABARD and the States have been asked to simplify lending policies and procedures. The concept of self-approach (Self Help Groups) as a sub-system in the cooperative sector seeking to organise common interest, Self-Help Groups of Women, Rural poors as a part of revitalisation plan has been introduced.

RBI has also completely deregulated the interest rate structure for cooperatives for lending (subject to a minimum of 12 per cent) and for raising deposits. This is expected to significantly improve the viability of the cooperative banks.

Amendment to State Cooperative laws and holding elections of the cooperative bodies are being envisaged to revitalise the cooperative credit structure and enhance credit flow further.

मत्स्य पालन इकाइयां स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव

6565. श्री अजीत जोगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य पालन की कितनी इकाइयां स्थापित किए जाने का विचार है ;

(ख) आज तक मत्स्य पालन की स्थान वार कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के किसी जिले में मत्स्य पालन की इकाइयां स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो इन इकाइयों को कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ङ) इन इकाइयों की प्रशिक्षण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफ.एफ.डी.ए.) जैसी मात्स्यिकी इकाइयों की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(ख) सूचना विवरण में उपलब्ध है (**नीचे देखिए**)

(ग) और (घ) जी, नहीं। 45 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां प्रचालन में हैं जो मध्य प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर रही हैं।

(ङ) मत्स्य कृषक विकास एजेंसी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा कृषकों को अल्प अवधि प्रशिक्षण (10 से 15 दिन) दिया जाता है ताकि मत्स्य पालन करने से पहले वे मत्स्य कृषि की बुनियादी प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मत्स्य कृषकों को प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षु 25 रुपए की दर पर वृत्ति और फील्ड पर जाने हेतु बस/रेल किराए के लिए 40 रुपए एक मुश्त रूप से दिए जाते हैं।

विवरण

स्वीकृत मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफ०डी०ए०) की सूची

राज्य/संघ शासित प्रदेश	एफ.एफ. डी. ए. की संख्या	उन जिलों/क्षेत्रों के नाम जहां एफ.एफ.डी.ए. स्थापित की गई है
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	22	करीमनगर, कुरनूल, मेडक, कृष्णा, नालगोंडा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, महबूबनगर, निजिमाबाद, चित्तूर, खम्माम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विजग, गन्टूर, प्रकासम, नेल्लोर, वारंगल, अदिलाबाद, अनन्तपुर, कुडप्पा और रंगारेड्डी।
अरुणाचल प्रदेश	2	दो क्षेत्रीय एफ.एफ.डी.ए. (1) ईटानगर (2) पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग/तिराप/सुबनसिरी।
असम	23	दारंग, कामरूप, नौगांग सिबसागर, कचार, लखीमपुर, सोनितपुर करीमगंज, काबी आंजलोंज, डिब्रूगढ़, कोकराझार, धुब्री, बारपेटा, गोलपार, जोरहाट, बोंगईगांव, नलबाड़ी, मोरीगांव, गोलाघाट, तिनसुकिया, धेमाजी, हेलाकांडी और एन. सी. पहाड़ी जिले।
बिहार	49	पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, सिवान, गोपालगंज, सारन, वैशाली, मजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, रांची, हजारीबाग, गया, पूर्णिया, खगरिया, पटना, मधुबनी, दरभंगा मुंगेर, समस्तीपुर, बेगुसराय, सहरसा, धनबाद औरंगाबाद, गुमला, कटिहार, माधेपुरा, नालन्दा, गिरडीह गोड्डादुमका, भागलपुर, साहेबगंज, देवगढ़, सिंह-भूमि, पलामू, रोहतास, भोजपुर, नवादा, जहानाबाद, लोहरडागा, बक्सर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बंका, जमई, बोकारो, चतरा, गडवा और जमशेदपुर।
गोवा	1	पणजी में क्षेत्रीय एफ. एफ. डी. ए.
गुजरात	17	सूरत, पंचमहल, बलसाढ़, खेड़ा, जामनगर, भरूच, सुरेन्द्रनगर, साबरकांठा, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, कच्छ, जूनागढ़, अमरेली, बनासकांठा और मेहसाणा।
हरियाणा	16	करनाल, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, सिरसा, महेन्द्रगढ़, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, हिसार, भिवानी, जिन्द, रेवाड़ी, पानीपत, कैथल, और यमुनानगर।
हिमाचल प्रदेश	2	दो क्षेत्रीय एफ. एफ. डी. ए.–बिलासपुर और माण्डी।
जम्मू और	2	जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र।

1	2	3
कर्नाटक	18	मैसूर, धारवाड़, शिमोगा, कोलार, रायचूर, बीदर, बंगलौर, चिकमंगलूर, हसन, चित्रदुर्ग, गुलबर्ग, बेलगांव, बीजापुर, भादीकेरी, उत्तर-कन्नड़, माण्डया, तुमकुर और दक्षिण-कन्नड़।
केरल	14	पालघाट, क्यूआन, त्रिचूर, कन्नानौर, अलप्पी, त्रिवेन्द्रम एर्नाकुलम, कोट्टायन, मालापुरम, कोझीकोड, पाथनथिट्टा, इडुक्की, वायानाड और कासरगोड।
महाराष्ट्र	29	नागपुर, चन्द्रपुर, भण्डारा यवतमाल, गड़चिरौली, पुणे, सतारा, सांगली, ठाणे, शोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, परभनी, लातूर, बीड, अमरावती, बुलठाणा, अकोला, रत्नगिरी, कुलाबा, बम्बई, नांदियाड, जलगांव, अहमदनगर, नासिक, जालना, उस्मानाबाद, वर्धा, धूले।
मध्य प्रदेश	45	रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, रीवा, शहडोल, सिवनी, बालाघाट, सागर, छत्तरपुर, सतना, जबलपुर, सिधी, शिवपुरी, टिकमगढ़, खरगौन, धार, बेतूल, सिहोर, रायसेन, जगदलपुर (बस्तर), माण्डला, सरगुजा, छींदवाड़ा, भिण्ड, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, दमोह, उज्जैन, खण्डवा, मंदसौर, देवास, इंदौर, झबुआ, पन्ना, शाजापुर, रतलाम, मुरैना, दतिया, राजगढ़, विदिशा, नरसिंहपुर और भोपाल।
मणिपुर	8	केन्द्रीय मणिपुर, दक्षिणी मणिपुर, बिशनपुर, उखरूल, तमंगलोंग, चबेल, सेनपति और थाऊबल।
मेघालय	1	एक क्षेत्रीय एफ.एफ.डी.ए.।
मिजोरम	5	आइजोल, "पूर्व", लँगलई, छिमतुफी, आइजोल "पश्चिम", और कोलामेसिज।
नागालैंड	8	क्षेत्रीय एफ.एफ.डी.ए.—कोडिगा, जनेबोटो, तुएनसांग, भान, फीक, वोखा, मोकोकचुंग और दीमापुर।
उड़ीसा	27	कटक, पुरी, बालासौर, गंजम, फुलबनी, बोलनगीर, सम्भलपुर, धेनकानल, मयूरभंज, कालाहाण्डी, कोरापुट, सुन्दरगढ़ क्योंझार गाजापाटी रायगाडा, नवरँगपुर, मलकानगिरी, भदरोक, जाजपुर, केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, खुर्दा, नयागढ़, अंगुल, बारगढ़, नौपाड़ा और सोनपुर।
पंजाब	14	गरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, संगरूर, जालन्धर, पटियाला, रोपड़, होशयारपुर, भटिण्डा, कपूरथला, फिरोजपुर, फरीदाबाद, मंसा, और फतेगढ़ साहिब।
राजस्थान	15	अजमेर, अलवर, भीनवाड़ा, भरतपुर, डंगरपुर, जयपुर, टोंक, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, सवाई-माधोपुर, पाली और श्रीगंगानगर।

1	2	3
सिक्किम	1	एक क्षेत्रीय एफ०एफ०डी०ए०
तमिलनाडु	17	तंजौर, मदुरै, दक्षिण आरकोट, पेरियार, तिरूचिरापल्ली, धर्मापुरी, चैंगलपट्ट, कामराजार, अन्ना, तिरूनेलवेली, उत्तरी आरकोट, कन्याकुमारी, मद्रास, पुडुकोट्टई, पोसुम्पोनुथुराम-लिंगम, कोट्टाबोमान और चिदम्बरानार।
त्रिपुरा	3	पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा और उत्तरी त्रिपुरा।
उत्तर प्रदेश	56	इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव बांदा, गोंडा, रायबरेली, मुरादबाद, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर-खीरी, फैजाबाद, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी, बहराइच, मेरठ, बदायूं, एटा अलीगढ़, जालौन, इटावा, आगरा, फरूखाबाद, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, बुन्द-शहर, सहारनपुर, गाजियाबाद, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, मथुरा, फिरोजाबाद, हरिद्वार, सिद्धार्थनगर, मऊ, सोनभद्र, महाराजगंज, देहरादून, (गढ़वाल प्रभाग के क्षेत्रीय एफ०एफ०डी०ए०) और नैनीताल (कुमाऊं प्रभाग के क्षेत्रीय एफ०एफ०डी०ए०)।
पश्चिम बंगाल	18	बांकुरा, नाड़िया, हावड़ा, पश्चिम दीनाजपुर, हुगली, बीरभूम, दार्जिलिंग, उत्तरी 24–परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच-बिहार, जलपाईगुड़ी, वर्दवान, मिदनापुर, पुरूलिया, 24 परगना (दक्षिण), दार्जिलिंग जिले के सिलीगड़ी उप-प्रभाग और उत्तरी दीनाजपुर।
पाण्डिचेरी	1	करायकल क्षेत्र।
कुल : 414		

Production of Foodgrains in Rajasthan

6566. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total production of foodgrains in Rajasthan during the year 1993-94, 1994-95 and the target fixed for the year 1995;

(b) whether Government have chalked out any programme for stepping up the food-grains production in the State during the current year or so;

(c) the district-wise details of the foodgrains production during the current year as compared to last year;

(d) whether any assistance has been provided to State Governments in the form of good quality seeds of pulses, wheat, etc., so far and during 1993-94 and 1994-95; and

(e) whether any foreign delegation visited Rajasthan in this regard, if so, which country offered technical or other financial assistance to the State?